तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज से.प्र.सं. 13/2023 सी.आई.एस. नं. 13/2023 राजस्थान राज्य बनाम सोहन उर्फ सोनु वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 498 बीएनएसएस मु.फो. सं. 16/2026	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

दिनांक 11.03.2026

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रार्थी/अभियुक्त सोहन उर्फ सोनु की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल सलाम गोरी ने दिनांक 09.03.2026 को मोबाईल ओप्पो कंपनी का एन्ड्रोईड जिसके IMEI NO.1- 0864858055768010, IMEI NO.2-86488055768002 मय सीम नं. 8306211464 को सुपुर्दगी पर लिये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस है कि उक्त मोबाईल का प्रार्थी क्रेता स्वामी है। उक्त मोबाईल पुलिस थाना सदर डूंगरपुर में पडा है जिसकी पुलिस को अब कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में दिनांक 09.02.2026 को निर्णय पारित हो गया है तथा प्रार्थी बरी हो गया है। उक्त मोबाईल को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु माकूल जमानत प्रस्तुत करने तैयार है। उक्त मोबाईल के पुलिस थाना के मालखाने में पडा रहने से उसके खराब होने का अंदेशा है। आदि कथन करते हुये उक्त मोबाईल को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

इसके वितरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दरख्वास्त का विरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त सोहन उर्फ सोनु उक्त मोबाईल IMEI NO.1- 0864858055768010, IMEI NO.2-86488055768002 मय सीम नं. 8306211464 का क्रेता स्वामी होना बताया गया है। पत्रावली में उक्त मोबाईल का मूल बिल संलग्न है जिसका इन्वोईस नंबर पी 884 दिनांक 07.11.2021 है जिसपर क्रेता/अभियुक्त सोहन कटारा के हस्ताक्षर भी है जिससे भी उक्त मोबाईल का प्रार्थी/अभियुक्त सोहन उर्फ सोनु क्रेता/स्वामी होना प्रकट है। प्रकरण का निस्तारण दिनांक 09.02.2026 को हो चुका है। अब उक्त मोबाईल को पुलिस को आवश्यकता नहीं है तथा मालखाना में पडे रहने से उसके खराब होने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त सोहन उर्फ सोनु की ओर से प्रस्तुत दरख्वास्त सुपुर्दगी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त यदि बारह हजार रूपये का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा इस आशय का पेश करे कि वह प्रकरण में जब्त मोबाईल न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय में पेश करेगा। उसे खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, उसके रंग–रोगन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। मोबाईल के चारो ओर से रंगीन फोटो ग्राफी कर मोबाईल के फोटो न्यायालय मे पेश करे। मोबाईल को किसी अन्य को बेचान व हस्तांतरित नहीं करेगा तो उक्त मोबाईल प्रार्थी/अभियुक्त सोहन उर्फ सोनु को सुपुर्द किया जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर के नाम तेहरिर जारी की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो। --sd--